रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-269993
CG-DL-E-10022026-269993

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947
No. 114]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 120(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (य) और खंड (यछ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये तारीख 20 फ़रवरी, 2026 को प्रवृत्त होंगें।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में, नियम 2 के,—

(क) उप-नियम (1) में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगें, अर्थात्:—

"(गक) 'श्रव्य, दृश्य या श्रव्य-दृश्य सूचना' से कोई भी श्रव्य, प्रतिबिंब, फोटोग्राफ, ग्राफिक, वीडियो, गतिमान दृश्य अभिलेख, ध्वनि अभिलेख या कोई अन्य श्रव्य, दृश्य या श्रव्य-दृश्य अंतर्वस्तु अभिप्रेत है, चाहे वह संगत श्रव्य सहित हो या बिना संगत श्रव्य के, और चाहे वह किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से सृजित, जनित, उपांतरित या परिवर्तित की गई हो;"।

(ii) खंड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगें, अर्थात्:—

"(बक) 'सिंथेटिक रूप से जनित सूचना' से ऐसी श्रव्य, दृश्य या श्रव्य-दृश्य सूचना अभिप्रेत है, जो किसी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके कृत्रिम रूप से या एल्गोरिथ्मिक रूप से सृजित, जनित, उपांतरित या परिवर्तित की गई हो, इस प्रकार कि ऐसी सूचना वास्तविक, प्रामाणिक या सत्य प्रतीत होती हो और किसी भी व्यक्ति या घटना का इस प्रकार चित्रण या चित्रितीकरण करती हो कि वह किसी प्राकृतिक व्यक्ति या वास्तविक संसार की घटना से अभेद्य होने के रूप में, या अभेद्य होने की संभावना के रूप में, प्रत्यक्ष हो अथवा प्रत्यक्ष होने की संभावना हो;

परंतु यह कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी श्रव्य, दृश्य या श्रव्य-दृश्य सूचना को 'सिंथेटिक रूप से जनित सूचना' नहीं समझा जाएगा, जहां ऐसी श्रव्य, दृश्य या श्रव्य-दृश्य सूचना निम्नलिखित से उत्पन्न होती है—

(क) नियमित या सद्भावपूर्वक संपादन, स्वरूपण, उन्नयन, तकनीकी सुधार, रंग समायोजन, शोर न्यूनीकरण, प्रतिलेखन, अथवा संपीड़न से उत्पन्न होती है, जिससे मूलभूत श्रव्य, दृश्य या श्रव्य-दृश्य सूचना के तत्व, संदर्भ या अर्थ में कोई भौतिक परिवर्तन, विकृति या मिथ्या प्रस्तुतीकरण नहीं होता है; या

(ख) दस्तावेजों, प्रस्तुतियों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (PDF) फाइलों, शैक्षिक या प्रशिक्षण सामग्रियों, शोध आउटपुट के नियमित या सद्भावपूर्वक सृजन, तैयारी, स्वरूपण, प्रस्तुतीकरण या अभिकल्पन से, जिसके अन्तर्गत दृष्टांतात्मक, काल्पनिक, मसौदा, टेम्पलेट-आधारित या अवधारणात्मक अंतर्वस्तु का उपयोग भी शामिल है, जहां ऐसा सृजन या प्रस्तुतीकरण किसी मिथ्या दस्तावेज या किसी मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के सृजन या जनन का परिणाम नहीं होता है; या

(ग) पहुंचनीयता, स्पष्टता, गुणवत्ता, अनुवाद, विवरण, खोजनीयता या अन्वेषणीयता में सुधार करने के लिए केवल कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से, और मूलभूत श्रव्य, दृश्य या श्रव्य-दृश्य सूचना के किसी भी भौतिक भाग को जनित किए बिना, उपांतरित किए बिना, परिवर्तित किए बिना या अभिचालित किए बिना;"।

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगें, अर्थात्:—

"***(1क)*** इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, विधि-विरुद्ध कृत्य के कारित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सूचना के संदर्भ में 'सूचना' के प्रति कोई भी संदर्भ, जिसके अन्तर्गत नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) और खंड (घ) तथा नियम 4 के उप-नियम (2) और (4) शामिल हैं, तब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सिंथेटिक रूप से जनित सूचना को भी शामिल करने के रूप में अर्थान्वित किया जाएगा।

(1ख) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए और संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी मध्यवर्ती द्वारा इन नियमों के अनुपालन में, जिसके अन्तर्गत नियम 3 के उप-नियम (1), उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अनुसार, या उसके अन्तर्गत किसी उल्लंघन के प्रति युक्तियुक्त और उपयुक्त तकनीकी उपायों, जिसके अन्तर्गत ऑटोमेटेड उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र भी हैं, को परिनियोजित करके अवगत होने पर, किसी भी सूचना, जिसके अन्तर्गत सिंथेटिक रूप से जनित सूचना, डेटा या संचार लिंक भी हैं, को हटाना या उस तक पहुंच को असमर्थ करना, अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।"।

3. उक्त नियम के नियम 3 के,—

(क) उप-नियम (1) में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"***(ग)*** कोई मध्यवर्ती, अपने उपयोक्ताओं को आवधिक रूप से, कम-से-कम प्रत्येक तीन माह में एक बार, अपने नियमों और विनियमों, निजता नीति, उपयोक्ता करार, या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से, सरल एवं प्रभावी तरीके से, अंग्रेज़ी में अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी भाषा में, यह सूचित करेगा कि—

(i) उक्त नियमों और विनियमों, निजता नीति या उपयोक्ता करार, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, के अनुपालन में विफल रहने की स्थिति में, उसे यह अधिकार होगा कि वह तुरंत उपयोक्ताओं के कंप्यूटर संसाधन तक पहुँच या उपयोग के अधिकारों को समाप्त या निलंबित कर दे, या अनुपालन न करने वाली सूचना को हटाए या उस तक पहुँच को असमर्थ कर दे, या यथास्थिति, दोनों कर दे;

(ii) जहाँ ऐसा अनुपालन-भंग, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन में, किसी सूचना के सृजन, जनन, उपांतरण, परिवर्तन, होस्टिंग, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, संग्रहीत करने, अद्यतन करने, साझा करने अथवा अन्यथा प्रचारित करने से संबंधित हो, वहाँ ऐसे अनुपालन-भंग के लिए उत्तरदायी उपयोक्ता, अधिनियम के उपबंधों या किसी अन्य लागू विधि के अधीन दण्ड या दण्डनीयता का भागी हो सकता है; और

(iii) जहाँ ऐसा उल्लंघन, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के कारित करने से संबंधित हो, जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) अथवा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अधीन ऐसा अपराध, जिसका अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन किया जाना अपेक्षित है, वहाँ लागू विधि के उपबंधों के अनुसार, ऐसे अपराध का समुचित प्राधिकारी को प्रतिवेदन किया जाएगा;

(गक) (ग) के उप-खंड (i) और (ii) को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, जहाँ उप-नियम (3) के अधीन संदर्भित कोई मध्यवर्ती ऐसा कंप्यूटर संसाधन उपलब्ध कराता है, जो सिंथेटिक रूप से जनित सूचना के रूप में सूचना के सृजन, जनन, उपांतरण, परिवर्तन, प्रकाशन, प्रेषण, साझा करने या प्रचारित को सक्षम करता है, अनुमति देता है अथवा सुगम बनाता है, ऐसा मध्यवर्ती, अपने उपयोक्ताओं को अतिरिक्त रूप से यह भी सूचित करेगा कि—

(i) उप-नियम (3) के खंड (क) के उप-खंड (i) के उल्लंघन में सिंथेटिक रूप से जनित सूचना के रूप में सूचना के सृजन, जनन, उपांतरण, परिवर्तन, प्रकाशन, प्रसारित, साझा करने या प्रचारित करने के लिए, मध्यवर्ती के कंप्यूटर संसाधन को निर्देशित करना, अनुदेश देना अथवा अन्यथा कारण कारित करना, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, जिसमें अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60), महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) के उपबंध शामिल हैं, लागू होने वाले दण्ड या दण्डनीयता को आकर्षित कर सकता है; और

(ii) उप-नियम (3) के खंड (क) के उप-खंड (i) का ऐसा कोई उल्लंघन, निम्नलिखित का कारण हो सकता है—

(I) ऐसी सूचना तक पहुँच को तुरंत असमर्थ किया जाना अथवा ऐसी सूचना का हटा दिया जाना;

(II) साक्ष्य को किसी भी प्रकार से अध:प्रभावित किए बिना, इस उप-नियम का उल्लंघन करने वाले उपयोक्ता के उपयोक्ता एकाउंट का निलंबन या समापन;

(III) लागू विधि के अनुसार, ऐसे उपयोक्ता की पहचान तथा उल्लंघनकारी उपयोक्ता की पहचान का शिकायतकर्ता को प्रकटीकरण, जहाँ ऐसा शिकायतकर्ता, ऐसे उल्लंघन का पीड़ित हो, अथवा पीड़ित की ओर से कार्यरत कोई व्यक्ति हो; और

(IV) जहाँ ऐसा उल्लंघन, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के कारित करने से संबंधित हो, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) अथवा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अधीन ऐसा अपराध भी शामिल है, जिसका अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन किया जाना अपेक्षित है, वहाँ लागू विधि के उपबंधों के अनुसार, ऐसे अपराध का समुचित प्राधिकारी को प्रतिवेदन किया जाना;

(गख) जहाँ कोई मध्यवर्ती, स्वप्रेरणा से, अथवा वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर, अथवा इन नियमों के अधीन प्राप्त किसी शिकायत, परिवाद या सूचना के आधार पर, उप-नियम (3) के किसी भी उल्लंघन के संबंध में, उप-नियम (3) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अंतर्गत आच्छादित सिंथेटिक रूप से जनित सूचना के रूप में सूचना के सृजन, जनन, उपांतरण, परिवर्तन, होस्टिंग, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, संग्रहीत करने, अद्यतन करने, साझा करने अथवा अन्यथा प्रचारित करने के संबंध में, अवगत हो जाता है, तो वह शीघ्रतम एवं उपयुक्त कार्रवाई करेगा, जिसमें खंड (गक) के उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट कार्रवाई भी शामिल है;"।

(ii) खंड (घ) में,—

(A) प्रारंभिक भाग में, "छत्तीस घंटों" शब्दों के स्थान पर "तीन घंटों" शब्दों प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(B) उप-खंड (ii) में, मद (I) में,—

(I) प्रारंभिक भाग में, "ऐसी सूचना जारी करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी" शब्दों के स्थान पर "ऐसी सूचना जारी करने के प्रयोजनार्थ, लिखित आदेश द्वारा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी" शब्दों प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहाँ ऐसी सूचना पुलिस प्रशासन द्वारा जारी की जानी हो, वहाँ एक या अधिक प्राधिकृत अधिकारी हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, जिसे इस संबंध में विशेष रूप से समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो:"।

(ख) उप-नियम (2) में,—

(i) खंड (क) में, उप-खंड (i) में,—

(I) प्रारंभिक भाग में, "पंद्रह दिनों" शब्दों के स्थान पर "सात दिनों" शब्दों प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(II) प्रथम परंतुक में, “बहत्तर घंटों” शब्दों के स्थान पर “छत्तीस घंटों” शब्दों प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, “24 घंटे” शब्दों के स्थान पर “दो घंटे” शब्दों प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगें, अर्थात्:—

“**(3) सिंथेटिक रूप से जनित सूचना के संबंध में उचित सावधानी:** (क) जहाँ कोई मध्यवर्ती ऐसा कंप्यूटर संसाधन उपलब्ध कराता है, जो सिंथेटिक रूप से जनित सूचना के रूप में सूचना के सृजन, जनन, उपांतरण, परिवर्तन, प्रकाशन, प्रसारित, साझा करने या प्रचारित करने को सक्षम कर सकता है, अनुमति दे सकता है अथवा सुगम बना सकता है, वह यह सुनिश्चित करेगा कि,—

(i) वह युक्तियुक्त और समुचित तकनीकी उपाय, जिसके अंतर्गत ऑटोमेटेड उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र भी हैं, परिनियोजित करे, ताकि किसी भी उपयोक्ता को, यथास्थिति, ऐसी किसी भी सिंथेटिक रूप से जनित सूचना का सृजन, जनन, उपांतरण, परिवर्तन, प्रकाशन, प्रसारित, साझा करना या प्रचारित करना अनुमन्य न हो, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन करती हो, जिसमें अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) के उपबंध भी शामिल हैं, तथा जिसमें ऐसी कोई भी सिंथेटिक रूप से जनित सूचना सम्मिलित है जो,—

(I) बाल यौन शोषणकारी एवं दुर्व्यवहार सामग्री, अननुमोदित अंतरंग छविचित्रण अंतर्वस्तु अंतर्विष्ट करती है, अथवा अश्लील, कामोद्दीपक, बाल योन शोषण संबंधी, शारीरिक निजता सहित दूसरे की निजता को भंग करने वाली, अशिष्ट, असभ्य, अथवा कामुकता व्यक्त करने वाली हो; या

(II) किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के सृजन, जनन, उपांतरण या परिवर्तन का परिणाम हो; या

(III) विस्फोटक सामग्री, आयुध अथवा गोलाबारूद की तैयारी, विकास या प्राप्ति से संबंधित हो; या

(IV) किसी प्राकृतिक व्यक्ति अथवा वास्तविक संसार की घटना का मिथ्या चित्रण या चित्रितीकरण करे, किसी व्यक्ति की पहचान, स्वर, आचरण, कार्य, कथन, अथवा किसी घटना को घटित होने के रूप में, धोखा देने की संभावना वाली रीति से गलत ढंग से प्रस्तुत करके, चाहे प्राकृतिक व्यक्ति की संलग्नता सहित या बिना संलग्नता के; और

(ii) खंड (क) के उप-खंड (i) के अंतर्गत आच्छादित नहीं होने वाली प्रत्येक ऐसी सूचना को, इस प्रकार स्पष्ट रूप से लेबल किया जाएगा कि दृश्य प्रदर्श में उसकी प्रमुख दृश्यता सुनिश्चित हो, जो सहज रूप से दृष्टिगोचर तथा पर्याप्त रूप से बोधगम्य हो, या श्रव्य

अंतर्वस्तु की दशा में, प्रमुख रूप से पूर्वसर्गित श्रव्य प्रकटीकरण के माध्यम से, जिससे तुरंत यह पहचान किया जा सके कि ऐसी सूचना सिंथेटिक रूप से जनित सूचना है, जिसे किसी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके सृजित, जनित, उपांतरित या परिवर्तित किया गया है; और ऐसी सूचना में, तकनीकी रूप से संभव सीमा तक, स्थायी मेटाडेटा अथवा अन्य उपयुक्त तकनीकी उद्गम-प्रमाण तंत्र, जिसमें एक अद्वितीय पहचानकर्ता भी शामिल है, अंतर्निहित किया जाएगा, ताकि ऐसी सूचना के सृजन, जनन, उपांतरण या परिवर्तन के लिए प्रयुक्त मध्यवर्ती के कंप्यूटर संसाधन की पहचान की जा सके;

(ख) मध्यवर्ती, खंड (क) के उप-खंड (ii) के अनुसार प्रदर्शित अथवा अंतर्निहित किए गए लेबल, स्थायी मेटाडेटा, जिसमें अद्वितीय पहचानकर्ता भी सम्मिलित है, के उपांतरण, दमन या हटाए जाने को सक्षम नहीं करेगा।"।

4. उक्त नियम के नियम 4 के,—

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगें, अर्थात्:—

"(1क) कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती, जो अपने कंप्यूटर संसाधन पर किसी भी सूचना को प्रदर्शित करने, अपलोड करने या प्रकाशित करने को सक्षम करता है, ऐसी सूचना के प्रदर्शन, अपलोड या प्रकाशन से पूर्व,—

(क) उपयोक्ताओं से यह घोषणा कराएगा कि क्या ऐसी सूचना सिंथेटिक रूप से जनित सूचना है;

(ख) ऐसी घोषणा की शुद्धता का सत्यापन करने के लिए, ऐसी सूचना के स्वरूप, प्रारूप और स्रोत को ध्यान में रखते हुए, समुचित तकनीकी उपाय, जिसके अंतर्गत ऑटोमेटेड उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र भी हैं, परिनियोजित करेगा; और

(ग) जहाँ ऐसी घोषणा या तकनीकी सत्यापन से यह पुष्टि होती है कि सूचना सिंथेटिक रूप से जनित है, वहाँ यह सुनिश्चित करेगा कि उसी को एक उपयुक्त लेबल या सूचना-पत्र के साथ, यह दर्शाते हुए कि अंतर्वस्तु सिंथेटिक रूप से जनित है, स्पष्ट रूप से तथा प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए:

परंतु यह कि जहाँ ऐसा मध्यवर्ती अवगत हो जाता है, या यह अन्यथा स्थापित हो जाता है, कि ऐसे मध्यवर्ती ने, इन नियमों के उल्लंघन में, ऐसी सिंथेटिक रूप से जनित सूचना को जानबूझकर अनुमति दी, बढ़ावा दिया, अथवा उसके संबंध में कार्रवाई करने में विफल रहा, तो ऐसा मध्यवर्ती इस उप-नियम के अधीन उचित सावधानी बरतने में विफल माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.— संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती का दायित्व, उपयोक्ता घोषणाओं की शुद्धता का सत्यापन

करने हेतु युक्तियुक्त और समानुपाती तकनीकी उपाय करने तक तथा यह सुनिश्चित करने तक विस्तृत होगा कि किसी भी सिंथेटिक रूप से जनित सूचना का, ऐसी घोषणा या लेबल के बिना, प्रकाशन न किया जाए।"।

(ख) उप-नियम (4) में "प्रौद्योगिकी आधारित उपाय, जिसके अन्तर्गत उस सूचना जो चाहे सुव्यक्त हो या विवक्षित, बलात्कार, बच्चों का लैंगिक शोषण या आचरण को किसी भी रूप में चित्रित करने वाले किसी कृत्य या अनुरुपण या कोई अन्य सूचना जो उस सूचना की अन्तर्वस्तु के ठीक समान है जिसे नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन ऐसे मध्यवर्ती के कम्प्यूटर संसाधन पर पूर्व में हटा दिया गया है या उस तक पहुंच को असमर्थ किया गया है, को चित्रित करने वाली पूर्व सक्रिय सूचना को पहचानने वाले ऑटोमेटेड उपकरण या अन्य तंत्र भी हैं, करने का प्रयत्न करेगा" शब्दों के स्थान पर "समुचित तकनीकी उपाय, जिसके अन्तर्गत उस सूचना जो चाहे सुव्यक्त हो या विवक्षित, बलात्कार, बच्चों का लैंगिक शोषण या आचरण को किसी भी रूप में चित्रित करने वाले किसी कृत्य या अनुरुपण या कोई अन्य सूचना जो उस सूचना की अन्तर्वस्तु के ठीक समान है जिसे नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन ऐसे मध्यवर्ती के कम्प्यूटर संसाधन पर पूर्व में हटा दिया गया है या उस तक पहुंच को असमर्थ किया गया है, को चित्रित करने वाली पूर्व सक्रिय सूचना को पहचानने वाले ऑटोमेटेड उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र भी हैं, परिनियोजित करेगा" शब्दों रखे जाएंगें।

5. उक्त नियम के नियम 7 में "भारतीय दंड उपबंध" शब्दों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)" शब्दों, अंक और कोष्ठकों रखे जाएंगें।

[फा. सं. 2(5)/2025-साइबर लॉज़]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 139(अ), तारीख 25 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 794(अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2022; सा.का.नि. 275(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2023; और सा.का.नि. 775(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2026

G.S.R. 120(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (z) and (zg) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 20 th day of February, 2026.

2. In the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021(hereafter referred to as the said rules), in rule 2,—

(a) in sub-rule (1),—

(i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ca) 'audio, visual or audio-visual information' means any audio, image, photograph, graphic, video, moving visual recording, sound recording or any other audio, visual or audio-visual content, with or without accompanying audio, whether created, generated, modified or altered through any computer resource;".

(ii) after clause (w), the following clause shall be inserted, namely:—

"(wa) 'synthetically generated information' means audio, visual or audio-visual information which is artificially or algorithmically created, generated, modified or altered using a computer resource, in a manner that such information appears to be real, authentic or true and depicts or portrays any individual or event in a manner that is, or is likely to be perceived as indistinguishable from a natural person or real-world event;

Provided that the purposes of this clause, an audio, visual or audio-visual information shall not be deemed to be 'synthetically generated information', where such audio, visual or audio-visual information arises from—

(a) routine or good-faith editing, formatting, enhancement, technical correction, colour adjustment, noise reduction, transcription, or compression that does not materially alter, distort, or misrepresent the substance, context, or meaning of the underlying audio, visual or audio-visual information; or

(b) the routine or good-faith creation, preparation, formatting, presentation or design of documents, presentations, portable document format (PDF) files, educational or training materials, research outputs, including the use of illustrative, hypothetical, draft, template-based or conceptual content, where such creation or presentation does not result in the creation or generation of any false document or false electronic record; or

(c) the use of computer resources solely for improving accessibility, clarity, quality, translation, description, searchability, or discoverability, without generating, altering, or manipulating any material part of the underlying audio, visual or audio-visual information;".

(b) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"***(1A)*** For the purposes of these rules, any reference to 'information' in the context of information being used to commit an unlawful act, including under clauses (b) and (d) of sub-rule (1) of rule 3 and sub-rules (2) and (4) of rule 4, shall be construed to include synthetically generated information, unless the context otherwise requires.

(1B) For the purposes of these rules and for the removal of doubts, it is hereby clarified that the removal of, or disabling of access to, any information, including synthetically generated information, data or communication link, by an intermediary in compliance with these rules, including in accordance with sub-rule (1), sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 3, or upon becoming aware of any violation thereunder by deploying reasonable and appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms, shall not amount to a violation of the conditions specified under clauses (a) or (b) of sub-section (2) of section 79 of the Act.".

3. In the said rules, in rule 3,—

(a) in sub-rule (1),—

(i) for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

"***(c)*** an intermediary shall periodically inform its users, at least once every three months, in a simple and effective manner through its rules and regulations, privacy policy, user agreement, or any other appropriate means, in English or any language specified in the Eighth Schedule to the Constitution, that—

(i) in case of non-compliance with such rules and regulations, privacy policy or user agreement, by whatever name called, it has the right to terminate or suspend the access or usage rights of the users to the computer resource

immediately, or to remove or disable access to non-compliant information, or both, as the case may be;

(ii) where such non-compliance relates to the creation, generation, modification, alteration, hosting, displaying, uploading, publishing, transmitting, storing, updating, sharing or otherwise disseminating of information in contravention of any law for the time being in force, the user who is responsible for such non-compliance may be liable to penalty or punishment under the provisions of the Act or any other applicable law; and

(iii) where such violation relates to the commission of an offence under any law for the time being in force, such as the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) or the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012) which requires such offence to be mandatorily reported, reporting of such offence to the appropriate authority in accordance with the provisions of the applicable law;

(ca) without prejudice to sub-clauses (i) and (ii) of clause (c), where an intermediary referred to under sub-rule (3) offers a computer resource which enables, permits or facilitates the creation, generation, modification, alteration, publication, transmission, sharing, or dissemination of information as synthetically generated information, such intermediary shall additionally inform its users that—

(i) directing, instructing or otherwise causing the computer resource of the intermediary for creation, generation, modification, alteration publication, transmission, sharing, or dissemination of information as synthetically generated information in contravention of sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (3) may attract penalty or punishment as may be applicable under any law for the time being in force, including the provisions of the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023), the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 (60 of 1986), the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), and the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956); and

(ii) any such contravention of sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (3) may lead to—

(I) the immediate disabling of access to or removal of such information;

(II) suspension or termination of the user account of the user who violates this sub-rule without vitiating the evidence;

(III) in accordance with applicable law, identification of such user and disclosure of the identity of the violating user to the complainant, where such complainant is a victim of, or an individual acting on behalf of a victim of, such contravention; and

(IV) where such violation relates to the commission of an offence under any law for the time being in force, including the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) or the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012) which requires such offence to be mandatorily reported, reporting of such offence to the appropriate authority in accordance with the provisions of the applicable law;

(cb) where an intermediary becomes aware, either on its own accord or upon receipt of actual knowledge or on the basis of any grievance, complaint or information received under these rules, of any violation of sub-rule (3), in relation to the creation, generation, modification, alteration, hosting, displaying, uploading, publishing, transmitting, storing, updating, sharing or otherwise dissemination of information as synthetically generated information covered under sub-clause (ii) of clause (a), it shall take expeditious and appropriate action, including those specified in sub-clause (ii) of clause (ca);".

(ii) in clause (d),—

(A) in the opening portion, for the words “thirty-six hours”, the words “within three hours” shall be substituted;

(B) in sub-clause (ii), in item (I),—

(I) in the opening portion, for the words “issued by an officer authorised for the purpose of issuing such intimation”, the words “issued by an officer authorised, by order in writing, for the purpose of issuing such intimation” shall be substituted;

(II) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that where such intimation is to be issued by the police administration, there may be one or more authorised officers, each not below the rank of Deputy Inspector General of Police, especially authorised by the Appropriate Government in this behalf:”.

(b) in sub-rule (2),—

(i) in clause (a), in sub-clause (i),—

(I) in the opening portion, for the words “fifteen days”, the words “seven days” shall be substituted; and

(II) in the first proviso, for the words “seventy-two hours”, the words “thirty-six hours” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words “twenty-four hours”, the words “two hours” shall be substituted.

(c) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“**(3) Due diligence in relation to synthetically generated information:** (a) Where an intermediary offers a computer resource which may enable, permit, or facilitate the creation, generation, modification, alteration, publication, transmission, sharing, or dissemination of information as synthetically generated information, it shall ensure that,—

(i) it deploys reasonable and appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms, to not allow any user to create, generate, modify, alter, publish, transmit, share, or disseminate, as the case may be, any such synthetically generated information that violates any law for the time being in force, including the Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023), Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908), and includes any such synthetically generated information that,—

(I) contains child sexual exploitative and abuse material, non-consensual intimate imagery content, or is obscene, pornographic, paedophilic, invasive of another person’s privacy, including bodily privacy, vulgar, indecent or sexually explicit; or

(II) results in the creation, generation, modification or alteration of any false document or false electronic record; or

(III) relates to the preparation, development or procurement of explosive material, arms or ammunition; or

(IV) falsely depicts or portrays a natural person or real-world event by misrepresenting, in a manner that is likely to deceive, such person’s identity, voice, conduct, action, statement, or such event as having occurred, with or without the involvement of natural person; and

(ii) every such information not covered under sub-clause (i) of clause (a) is prominently labelled in a manner that ensures prominent visibility in the visual display that is easily noticeable and adequately perceivable, or, in the case of audio content, through a prominently prefixed audio disclosure, that can be used to immediately identify that such information is synthetically generated information which has been created, generated, modified or altered using a computer resource and such information shall be embedded with a permanent metadata or other appropriate technical provenance mechanisms, to the extent technically feasible, including a unique identifier, to identify the computer resource of the intermediary used to create, generate, modify or alter such information;

(b) the intermediary shall not enable the modification, suppression or removal of the label, permanent metadata, including the unique identifier, displayed or embedded in accordance with sub-clause (ii) of clause (a).".

4. In the said rules, in rule 4,—

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) A significant social media intermediary which enables displaying, uploading, or publishing any information on its computer resource shall, prior to such display, uploading, or publication,—

(a) require users to declare whether such information is synthetically generated information;

(b) deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms, to verify the accuracy of such declaration, having regard to the nature, format, and source of such information; and

(c) where such declaration or technical verification confirms that the information is synthetically generated, ensure that the same is clearly and prominently displayed with an appropriate label or notice, indicating that the content is synthetically generated:

Provided that where such intermediary becomes aware, or it is otherwise established, that the intermediary knowingly permitted, promoted, or failed to act upon such synthetically generated information in contravention of these rules, such intermediary shall be deemed to have failed to exercise due diligence under this sub-rule.

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby clarified that the responsibility of the significant social media intermediary shall extend to taking reasonable and proportionate technical measures to verify the correctness of user declarations and to ensure that no synthetically generated information is published without such declaration or label.".

(b) in sub-rule (4), for the words "endeavour to deploy technology-based measures, including automated tools or other mechanisms", the words "deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms" shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 7, for the words "the Indian Penal Code", the words, figures and brackets "the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023)" shall be substituted.

[F. No. 2(5)/2025-CyberLaws]

AJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 139(E), dated the 25th February, 2021 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 794(E), dated the 28th October, 2022; G.S.R. 275(E), dated the 6th April, 2023; and G.S.R. 775(E), dated the 22nd October, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.10 15:37:51 +05'30'